Chhattisgarh State Power Generation Company Ltd.
(A successor Company of CSEB)
O/o The Chief Engineer (C&CP)
CSPGCL, Shed no.6, Dagania, Raipur (C.G.) 492013
Phone: 0771-2574097, Fax : 0771-2574806

PUBLIC NOTICE

In compliance of the relevant provisions of the "CSERC (Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi-Year Tariff Principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulations, 2015" , Chhattisgarh State Power Generation Company Ltd (CSPGCL) has filed a petition (no. 62 /2017 (T) for Provisional True up of ARR of its Pre existing Conventional Thermal and Hydro Power Plants for FY 2016-17 before Hon'ble Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC). Petition includes True up surplus of Rs. 257.40 Cr.

Copy of the tariff petition is available at CSERC office, Irrigation Colony Shanti Nagar, Raipur and at the office of Chief Engineer (C&CP), CSPGCL at Dagania, Raipur, which can be purchased on any working day on payment of Rs.200/-. The same may also be obtained by post on payment of additional charge of Rs.50/- (for each copy). The petition will also be available on website www.cspc.co.in and www.cserc.gov.in.

Objections / suggestions on the aforesaid petition may be submitted to Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission's office, within 21 days of publication of this notice. Advance copies of objection/suggestion/view may be sent through fax to CSPGCL at No. 0771-2574806 and CSERC at No. 0771-4073553. The Commission may give a chance to the persons filing the objections/suggestions to participate in hearing. Date and place of hearing may be published by CSERC in the news paper separately.

Chief Engineer (C&CP)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित,
(छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनी)
कार्यालय मुख्य अभियंता (सी.एण्ड सी.पी.)
छ.ग.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या. शेड नं. 6,विद्युत सेवा भवन परिसर, डंगनिया, रायपुर
फोन नम्बर 0771–2574097, फैक्स नम्बर 0771–2574806

आमसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के छ.रा.वि.नि.आ. (बहुवर्षीय टैरिफ के सिद्वांतों के अनुरूप टैरिफ निर्धारण की निबंधन एवं शर्ते तथा दरों और प्रभारों से अनुमानित राजस्व के निर्धारण हेतु पद्धति और प्रकिया) विनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा, पूर्व स्थापित पारंपरिक ताप विद्युत तथा जल विद्युत संयंत्रों हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये प्रावधिक वास्तिविकीकरण (ट्रू अप) हेतु, आयोग के समक्ष याचिका (कमांक 69 / 2017 (T)) प्रस्तुत की गई है। याचिका में वास्तिविकीकरण पश्चात ₹ 257.40 करोड़ के आधिक्य की राशि सम्मिलित है।

उपरोक्त याचिका की प्रतियां छ.रा.वि.नि.आ., सिंचाई कॉलोनी, शांतिनगर रायपुर के कार्यालय में तथा मुख्य अभियंता (सी. एण्ड सी.पी), छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या., डंगनिया, रायपुर के कार्यालय में उपलब्ध हैं। याचिका की मुद्रित प्रति कार्यालयीन दिवसों में ₹. 200 / – का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। डाक द्वारा याचिका की प्रति ₹. 50 (प्रत्येक प्रति) के अतिरिक्त भुगतान पर डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति कंपनी की वेबसाईट www.cspc.co.in एवं आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगी ।

उपरोक्त याचिका पर सुझाव /आपत्ति, इस आमसूचना के जारी होने के 21 दिवस के भीतर सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है। सुझाव/आपत्तियों/दृष्टिकोण की अग्रिम प्रति छ.रा.विद्युत उत्पादन कंपनी को फैक्स द्वारा नंबर 0771–2574806 पर एवं आयोग को नंबर 0771–4073553 पर भेजी जा सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आपत्ति/सुझाव दर्ज कराने वाले पक्षकारों को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई में सम्मिलित होने का अवसर दे सकता है। सुनवाई हेतु स्थल एवं दिनांक की सूचना आयोग द्वारा पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित की जा सकती है।

मुख्य अभियंता (सी.एण्ड सी.पी.)